***03—12—2019***

*अभियुक्त सौरभ की ओर से अ0सं0—884/2018 अन्तर्गत धारा—323,506 भा0दंसं0, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने के निवेदन के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।*

*अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है। जैसा कि उपरोक्त मुकदमा में दर्शाया गया है। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाये।*

*विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।*

*सुना व अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। धारा—506 भा0दं0सं0 के अतिरिक्त अन्य धारायें जमानतीय है। मामलें में आरोप पत्र आ चुका है। मामलें के तथ्यों व परिस्थितियो में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।*

***आदेश***

*अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/—रूपये के दो प्रतिभू तथा समान धनराशि का निजी बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।*

*मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,*
*, मुरादाबाद।*